



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227602 FAX, Help Line-9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

website www.rslsa.gov.in

क्रमांक :-एफ8() रालसा/नालसा/2025-26/ 29273

दिनांक 20.03.2025

कोटेशन के लिए अनुरोध - 17

कार्यालय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर के बिलो से वित्तीय वर्ष 2025-26 में काटी गई जी.एस.टी. एवं टी. डी. एस. राशि की क्रमशः प्रतिमाह एवं त्रैमासिक रिटर्न फाईल करने एवं धारा 4 सी के वार्षिक लेखें (मय उपयोगिता प्रमाण पत्र) रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाने हेतु कोटेशन के लिए अनुरोध आमंत्रित हैं। कोटेशन दिनांक 27.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे, इस के पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। नियत तिथि एवं समय तक प्राप्त कोटेशन को उसी तिथि को दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष खोला जायेगा। कोटेशन की शर्तें पूर्वत रहेंगी।

कोटेशन निम्नांकित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	प्रति कार्य कार्य की दरें (कर सहित)
1	जी.एस.टी रिटर्न, RSLSA+Committee (दर प्रति माह में)	
2	टी.डी.एस रिटर्न, RSLSA+Committee(फॉर्म 24Q, 26 Q एवं फॉर्म 16 सहित दर प्रति त्रैमासिक में)	
3	धारा 4 सी (LAP & LADCS) के लेखे मय उपयोगिता प्रमाण पत्र, RSLSA+Committee	
4	अन्य के लेखे मय उपयोगिता प्रमाण पत्र, RSLSA (UNICEF, NCW, DISHA, आदी)	

निविदा शर्तें :-


- कार्यालय के बिलों से काटी गई जी.एस.टी एवं टी.डी.एस राशि की सूचना कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाईल करनी होगी।
- धारा 4 सी के वार्षिक लेखे महालेखाकार कार्यालय द्वारा चाहे गये प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र जी. एफ. आर-12 में कार्यादेश प्राप्त के एक माह में तैयार कर प्रेषित करने होंगे।
- धारा 4 सी के वार्षिक लेखे के अंकेक्षण के दौरान बुलाने पर कार्यालय में आना होगा तथा महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण दल के मीमों का जवाब तैयार करवाना होगा।
- जी.एस.टी रिटर्न की प्रति माह की दरें, टी.डी.एस की त्रैमासिक दरें (फॉर्म 24Q 26Q एवं फॉर्म 16) एवं धारा 4 सी के वार्षिक लेखे (मय उपयोगिता प्रमाण पत्र) की वार्षिक दरों का (कर सहित) निविदा प्रारूप में उल्लेख किया जावे।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र पूर्व सी.ए. से स्वयं के स्तर पर प्राप्त करना होगा।
- कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
- बिलो से नियमानुसार जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस यदि लागू हो तो काटी जायेगी।
- निविदा-दाता द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र एवं अपने व्यवसाय का पंजीकृत प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा।
- शर्त सहित निविदाए स्वीकार नहीं की जायेगी एवं विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक : एफ8()रालसा/नालसा/2025-26/29274-दिनांक : 20.03.2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्य करने हेतु अपनी दरें प्रस्तुत करावे :-

1. CK Prusty and Associates C.A, 10-11 Opp. Navjeevan Hospital Agra Road Kanota, Jaipur (9351935919)(ckp.jaipur@gmail.com)
2. S Pabuwal and Comp. C.A, 104- First Floor D-42 Subhash Marg C-Scheme Jaipur (9829015668)(pabuwalsanjay@gmail.com)
3. Jaiswal Khandelwal & Co C.A., E-812 Avadhपुरी Lal Kothi Tonk Roak Jaipur (9309028346)(jkco.kamal@gmail.com)
4. Tanmay & Associates C.A, 405 Jagdish Enclave Hawa Sadak 22 Godam Jaipur (9782913293)(catanmaysaini@gmail.com)
5. Surendra Gupta & Associates, C.A, H-15 Jagan Path Chomu House, C-Scheme, Jaipur (9929110852)(sga_gupta@yahoo.com)
6. Shambhu Gupta & Co, C.A, D-25 Indra Puri Colony Lal Kothi Jaipur (9829092375)
7. JLN US & Company C.A., Sunny Mart 415-416 4th Floor Gopal Pura Bypass Shanti Nagar Mansarovar, Jaipur (9079944967)(jlnus.jaipur@gmail.com)



निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर